न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/13/2021

1. रामकिशन पुत्र श्री हस्तीमलजी, जाति कलाल, निवासी 11, जंगीवाड़ा, पाली (राज.)
2. दुर्गादेवी पत्नी रामकिशनजी, जाति कलाल, निवासी 11, जंगीवाड़ा, पाली (राज.)
3. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी जीवराजजी शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी 34, जंगीवाड़ा, पाली (राज.)
4. जीवराज पुत्र श्री बंशीलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी 34, जंगीवाड़ा, पाली (राज.)

.... अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)
2. मृत बद्रीलाल पुत्र श्री बंशीलालजी जाति ब्राहम्ण, निवासी जंगीवाड़ा पाली के कायम मुकाम :–
   - 2/1 आनंद पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी
   - 2/2 प्रकाश पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी
   - 2/3 बालकिशन पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी
   - 2/4 कमल पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी
   - 2/5 अशोक पुत्र स्व. श्री बद्रीलालजी,
   - 2/6 बेला पुत्री स्व. श्री बद्रीलालजी,
   - 2/7 भंवरीदेवी पत्नी स्व. श्री बद्रीलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासीगण 109, गांधी कॉलोनी, पाली (राज.)
3. मृत मदनलाल पुत्र श्री स्व. श्री बद्रीलालजी, जाति ब्राहम्ण के वारिसान :–
   - 3/1 नर्बदा पत्नी स्व. श्री मदनलालजी
   - 3/2 राजन पुत्र स्व. श्री मदनलालजी
   - 3/3 निर्मल पुत्र स्व. श्री मदनलालजी
   - 3/4 किरण पुत्री स्व. श्री मदनलालजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवासीगण 19, खत्रियों का बास, चण्डक मार्केट के सामने, पाली (राज.)

4. गोविंदराम पुत्र श्री बंशीलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी 212, नाडी मौहल्ला, पाली (राज.)

5. मृत श्रीमती सायरीदेवी पुत्री बंशीलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी जंगीवाड़ा, पाली (राज.) के कायम मुकाम :–

5/1 कैलाश पुत्र रामचन्द्रजी

5/2 अनिता पुत्री रामचन्द्रजी

5/3 प्यारी पुत्री रामचन्द्रजी

5/4 कौशल्या पुत्री रामचन्द्रजी

5/5 विद्या पुत्री रामचन्द्रजी

5/6 संतोष पुत्री रामचन्द्रजी

निवासीगण रामनगर, स्कूल के पास, तीसरी गली, पाली (राज.)

6. शिवनारायण पुत्र रामलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी गजानंद मंदिर के पास, मच्छी छात, अमरावती (महाराष्ट्र)

7. प्रहलाद पुत्र रामलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी गजानंद मंदिर के पास, मच्छी छात, अमरावती (महाराष्ट्र)

8. राजेश पुत्र रामलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी गजानंद मंदिर के पास, मच्छी छात, अमरावती (महाराष्ट्र)

9. मृत कन्या पुत्री रामलालजी, जाति ब्राहम्ण के कायम मुकामः–

9/1 गोपाल पुत्र रामनारायणजी

9/2 लीलादेवी पुत्री रामनारायणजी

9/3 अरूणा पुत्री रामनारायणजी

9/4 अन्नपूर्णा पुत्री रामनारायणजी

निवासीगण मंकाली स्ट्रीट, पुलिस थाना के पास, शिवशक्ति विडियो, सिकन्दराबाद (तेलगांना)

10. सरस्वती पुत्री रामलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी गजानंद मंदिर के पास, मच्छी छात, अमरावती (महाराष्ट्र)

11. आशा पुत्री रामलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी गजानंद मंदिर के पास, मच्छी छात, अमरावती (महाराष्ट्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

12. राजाराम पुत्र सवारामजी, जाति मीणा, निवासी कानेलाव, जिला पाली (राज.)

13. गिरधारी पुत्र बालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कूरना, जिला पाली (राज.)

.... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. राजकीय अधिवक्ता, उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 13 को तर्क किया गया।

निर्णय दिनांक : 23-06-2021

1. उपरोक्त अपील धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपीलार्थीगण द्वारा अधिन न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 557/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई, साथ ही धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट प्रफोर्मा पक्षकार होने से अपीलाण्ट्स के निवेदन पर तर्क किया गया। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित आधारों पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट्स एवं शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन धारा 177 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम गुदोज प्रथम के खसरा संख्या 823 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स के खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाये बिना, वैध अनुमति लिये बिना आवासीय भूखण्ड, सड़क, पत्थरगढी कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है और कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावें। उपरोक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के आदेश दिनांक 13.07.2018 को पारित किया। पेशी दिनांक 09.01. 2019 को अप्रार्थी संख्या 17 उपस्थित हुआ, शेष के नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट ''लेने से इन्कार'' के आधार पर तामिल पर्याप्त मान अग्रिम कार्यवाही की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 21.01.2019 को उपरोक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 13.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 17 के जवाब को बंद किया जाकर पत्रावली बहस के लिये नियत की गई। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20.02.2020 को बहस सुनना बताते हुए दिनांक 28.02.2020 को उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक से तेरह की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर मेवाडा कलाल दर्ज कर दी, जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उपरोक्त अप्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण दर्ज है। इसके अलावा समस्त अप्रार्थीगण को आवेदन में जंगीवाडा पाली का निवासी बताया, जबकि समस्त अप्रार्थीगण जंगीवाड़ा पाली के निवासी भी नहीं है, न ही जंगीवाड़ा क्षेत्र के मकान नम्बर अंकित है, जंगीवाड़ा बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें बिना मकान नम्बर के तामिल भी संभव नहीं है, ओर तो ओर समस्त नोटिस में एक ही तरह की रिपोर्ट की गई है कि पढकर लेने से इन्कार। जबकि ऐसे नोटिस न तो अपीलाण्ट्स को धामे गये, न ही रेस्पोडेण्ट को धामे गये, न ही पढकर लेने से इन्कार किया गया। उपरोक्त नोटिस किन मौतबीरान के रूबरू धामा गया, इस बाबत् भी कुछ भी नोटिस की पुश्त पर अंकित नहीं है, न ही मौतबीरान के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट संख्या एक व दो का कोई पता अंकित नहीं है, केवल पाली दर्ज है, जो पाली शहर तीन लाख की आबादी का है, जिसमें कई सारे मौहल्ले एवं कॉलोनियां है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपीलाण्ट के सम्मन कब और कहां धामे गये, कहीं भी अंकित नहीं है और नोटिस में केवल पाली अंकित कर देने से पाली शहर में नोटिस की तामिल संभव ही नहीं है। नोटिस इन्कार किये जाने की अवस्था में भी चस्पानगी किया जाना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में विधिक रूप से बिना नोटिस तामिल करवाये, बिना सूचना दिये फर्जी तामिल के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व ...ल प्राधिकारी पाली

प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधिनुसार सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई, जवाब, साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का किसी भी रूप से अकृषि उपयोग नहीं किया गया है, गलत रूप से एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर तथा गलत व फर्जी तामिल के आधार पर पारित एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय विधिक रूप से बहाल नहीं रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में 2010(1) डीएनजे (एस.सी.) पेज 377, 2008(2) आरआरटी पेज 825, 2012 आरआरडी पेज 318 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

2. उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही अप्रार्थी मदनलाल, सायरी, कन्या की मृत्यु हो चुकी थी तथा उपरोक्त सभी के नोटिस फर्जी तरीके से ''लेने से इन्कार'' से तामिल करवाये है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो ऐबइनिशियो वोईड तथा शून्य होने से अपास्त योग्य है। उपरोक्त अप्रार्थी मृत मदनलाल, मृत सायरी, मृत कन्या, शिवनारायण, प्रहलाद, राजेश, सरस्वती, आशा लम्बे समय से अपील अनवान में दिये गये पते पर ही निवास करते है तथा पाली में निवास नहीं रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में सही की जाति एवं पता गलत दर्ज करते हुए प्रकरण पेश किया गया और उसी के आधार पर गलत जाति व पते से जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने फर्जी तामिल रिपोर्ट ''लेने से इन्कार'' कर दी, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण पाली के निवासी नहीं है, न ही उनकी जाति मेवाडा कलाल है, सभी जाति से ब्राहम्ण है, इस कारण से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जी तामिल के आधार पर बिना वास्तविकता का पता किये अवैध रूप से एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो अवैध एवं शून्यवृत होने से अपास्त योग्य है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय नलिटी एवं शून्य है, इस सम्बन्ध में 2017(2) आरआरटी पेज 1047 (एस.सी.), 2009(2) आरआरटी पेज 1192

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(एस.सी.), 2008(2) आरआरटी पेज 1216, ए.आई.आर. 1962 (एस.सी.) पेज 192, ए.आई.आर. 1988 दिल्ली पेज 267, 2016(2) आरआरटी पेज 1200 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावें।

3. अपीलाण्ट्स के विरूद्ध गलत आधारों पर तामिल मानते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जिसकी जानकारी दिनांक 22.02.2021 को पटवारी के माध्यम से होने पर उसी दिन नकले प्राप्त कर दिनांक 23.03.2021 को अपील पेश की, अपील पेश करने में कोई देरी नहीं की है। अपील अंदर म्याद माने जाने बाबत् धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया, जिसका कोई जवाब रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा पेश नहीं किया गया। इसके अलावा इस सम्बन्ध में 2020(3) डीएनजे पेज 999 (एस.सी.), 2021(1) डीएनजे पेज 335 (एस.सी.), 577 (एस.सी.) के न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण दिनांक 15.03.2020 से अग्रिम आदेश तक सभी प्रकार की म्याद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा माफ कर दी गई है। उपरोक्त अपील की म्याद दिनांक 28.04.2020 को समाप्त हो रही थी, उससे पूर्व ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2020 से अग्रिम आदेश तक सभी प्रकार की म्याद बढ़ा दी गई है, इस कारण से भी अपील स्वतः ही अंदर म्याद है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4. सरकारी पैरोकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स व शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध विधिवत् रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, साथ ही पक्षकारो ने कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाये जाने पर विधिक रूप से प्रकरण दर्ज किया गया था तथा बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर विधिक रूप से कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौके पर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग किया जा रहा है, इस बाबत् पटवारी की मौका रिपोर्ट है, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है, इसलिए अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना आज्ञापक है, इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स के आवेदन मय शपथ पत्र का कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं किया गया है, साथ ही अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार कोविड–19 के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश तक म्याद बढ़ा दी गई है, इसलिए अपील स्वतः ही अंदर म्याद में मानी जाती है। अपीलाण्ट्स का मुख्य आधार यह रहा है कि आदेश पारित करने से पूर्व मदनलाल, सायरी व कन्या की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनके नोटिस फर्जी तरीके से लेने से इन्कार करवा दिये और मृत व्यक्तियों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवा दी, जो प्रथमदृष्टया अवैध होने से मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय नलिटी व शून्य है, साथ ही अपीलाण्ट संख्या एक व दो का नोटिस में कोई पता अंकित नहीं कर केवल पाली दर्ज कर दिया है, पाली शहर तीन लाख की आबादी का शहर है, जिसमें कई सारे मौहल्ले व कॉलोनियां है। उक्त नोटिस को भी लेने से इन्कार बताते हुए एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, जो अवैध होना बताया, साथ ही यह भी बताया कि अप्रार्थी संख्या एक से तेरह की जाति अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण और नोटिस में मेवाडा कलाल दर्ज कर दी जबकि सभी जाति से ब्राहम्ण है, फिर भी इनके नोटिस लेने से इन्कार बता दिये, जो संभव नहीं है, क्योंकि सभी जाति से ब्राहम्ण है, तो मेवाडा कलाल नाम के व्यक्ति को नोटिस कैसे धामे जा सकते है, उपरोक्त सभी का पता भी केवल जंगीवाड़ा पाली दर्ज किया गया है, कोई मकान नम्बर अंकित नहीं है, जंगीवाड़ा बहुत बडा एरिया है, इसलिए विधिवत तामिल नहीं मानी जा सकती है। बिना प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य लिए ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक नहीं होना बताया। उपरोक्त संदर्भ में न्यायालय का मत है कि अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है, जो उपर वर्णित अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार नलिटी व शून्य होने से इस आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है, इसके अलावा सभी अप्रार्थीगण की जाति एवं पते भी गलत अंकित किये गये है, अपीलाण्ट संख्या एक व दो का तो पता भी अंकित नहीं है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

केवल पाली ही अंकित है और फिर भी सभी नोटिस को एक ही दिन में पढकर लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट कर ली, उसके आधार पर सभी के खिलाफ एक साथ एकपक्षीय कार्यवाही कर दी, जो विधिक नहीं है।

6. धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पेश हुआ था, लेकिन प्रकरण को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, केवल मौका फर्द पेश हुई, जो साक्ष्य के अभाव में प्रदर्शित नहीं हुई, क्योंकि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई, जो दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं है, उसे न्यायिक दृष्टान्त 2010(1) डीएनजे (एस.सी.) पेज 377, 2008(2) आरआरटी पेज 825, 2012 आरआरडी पेज 318 अनुसार साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते है, इसलिए भी साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण मैरिट पर खारिज योग्य था, फिर भी बिना आधार आवेदन को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। मौके पर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने बाबत् कोई तथ्य अथवा दस्तावेज पेश होकर साबित नहीं किये गये है अर्थात् प्रदर्शित नहीं करवाये गये है, कृषि भूमि के छोटे छोटे भूखण्ड किये जाने बाबत् राज. काश्तकारी अधिनियम में कोई रोक नहीं है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल नहीं रखा जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

7. पत्रावली पर मौका फर्द के अलावा अन्य कोई साक्ष्य धारा 177 के उल्लंघन बाबत् नहीं है। धारा 177 को विधायिका द्वारा एक्ट में इसीलिए जोड़ा है कि कोई भी कृषक कृषि भूमि पर अकृषि कार्य नहीं करे, साथ ही ऐसा कोई करता है तो उस संबंध में ग्रामीण क्षैत्रो हेतु संपरिवर्तन नियम बनाये गये है, उसके तहत् कोई भी खातेदार अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवा सकता है। उपरोक्त नियम खातेदार काश्तकार को लाभ प्रदान करने के लिए बनाये गये है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को न्यायहित में अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु भूमिधारी द्वारा मौका दिया जाना भी उचित है, लेकिन बिना कोई अवसर दिये ही सीधे ही धारा 177 की कार्यवाही शुरू कर दी, जो विधिवत नहीं है। न्यायालय का मत है कि मौके पर अपीलाण्ट खातेदार द्वारा अकृषि कार्य किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है तो न्यायहित में एक अवसर दिया जावे, ताकि वह अपनी भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन संपरिवर्तन हेतु पेश कर सके। इस सम्बन्ध में भूमिधारी रेस्पोडेण्ट संख्या एक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट एवं अन्य जिन जिन खातेदारो द्वारा संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश कर दे, तो उनके विरूद्ध धारा 177 व अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लायी जावें, शेष खातेदारो के विरूद्ध उनके हिस्से तक विधिक कार्यवाही करने हेतु भूमिधारी स्वतंत्र रहेगें।

लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2020 जिसे प्रकरण संख्या 557/2018 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निर्णय की पालना में भूमि को सिवाय चक किया गया हो तो पुनः पूर्ववत खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23-06-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)